

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश-1

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 22602
संख्या:अद्वारह-233-2020(एसआई-लेखा)-2020 दिनांक:नवम्बर 25,2020

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 में निहित निर्देशों के अर्न्तगत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) को पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही निरीक्षक (लेखा) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है।

क०सं०	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	परिक्षेत्र/इकाई	चयन वर्ष
1	2	3	4	6	7	8	9
1	872412329	सुशील कुमार शर्मा	रामजी लाल	02-04-65	यातायात निदेशालय उ०प्र० लखनऊ	यातायात निदेशालय उ०प्र० लखनऊ	2020
2	802170084	ओम प्रकाश गुप्ता	स्व० सालिक राम गुप्ता	19-05-61	पीएमटी सीतापुर	लॉजिस्टिक्स मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ के अधीन	2020
3	872672158	छत्रपाल सिंह यादव	वी०एस० यादव	01-02-61	24वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद	मुरादाबाद अनुभाग	2020
4	872412316	एजाज हुसेन	याकूब हुसेन	04-07-62	37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर	कानपुर अनुभाग	2020
5	872463327	ओम प्रकाश पाण्डेय	स्व० बासुदेव पाण्डेय	01-07-62	एसआईटी उ०प्र० लखनऊ	एसआईटी उ०प्र० लखनऊ	2020
6	870640506	अशोक कुमार शुक्ला	राम नन्द शुक्ला	01-09-61	41वीं वाहिनी पीएसी गजियाबाद	मेरठ अनुभाग मेरठ	2020
7	872700451	राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	सुन्दर लाल श्रीवास्तव	12-11-65	सुल्तानपुर	आयोध्या	2020
8	821270011	अजय कुमार कटियार	सरिस्ते लाल कटियार	15-04-63	औरैया	कानपुर	2020
9	871020679	देवेन्द्र बहादुर सिंह	मुन्नी लाल सिंह	15-01-63	एसटीएफ उ०प्र० लखनऊ	एसटीएफ उ०प्र० लखनऊ	2020
10	872520372	ज्ञानचन्द्र त्रिपाठी	स्व० छोटे लाल त्रिपाठी	07-01-61	सोनभद्र	विन्ध्याचल	2020
11	872270150	कृष्ण मुरारी अग्रवाल	स्व० राम चरण अग्रवाल	08-07-64	तकनीकी सेवाएं उ०प्र० लखनऊ	मुख्यालय तकनीकी सेवाएं उ०प्र० लखनऊ	2020
12	871020611	इसरार अहमद	इम्तियाज अली	20-07-62	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ	-	2020

Handwritten signature

13	872637797	राधेश्याम	श्री सोहन लाल	15-01-62	सुल्तानपुर	आयोध्या	2020
14	870720028	ओम प्रकाश मिश्र	हनुमान प्रसाद मिश्र	30-08-62	उ०प्र० पुलिस मुख्यालय	उ०प्र० पुलिस मुख्यालय	2020
15	872570146	श्याम बिहारी	स्व० डब्ले राम	30-01-62	27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर	लखनऊ अनुभाग	2020
16	872412518	अशोक कुमार गुप्ता	राम बिहारी गुप्ता	16-06-65	उन्नाव	लखनऊ	2020
17	872390302	दिनेश कुमार मिश्रा	हरि प्रसाद मिश्रा	12-11-62	जीआरपी झाँसी	जीआरपी परिक्षेत्र प्रयागराज	2020
18	872200124	राम श्रृंगार मिश्र	राम आसरे मिश्र	28-04-63	तकनीकी सेवाएं उ०प्र० लखनऊ	मुख्यालय तकनीकी सेवाएं उ०प्र० लखनऊ	2020
19	872160606	राम अवन्त यादव	स्व० राम लखन यादव	07-07-62	उ०प्र० पुलिस मुख्यालय	उ०प्र० पुलिस मुख्यालय	2020
-20	872462441	महेश कुमार सिंह	इन्द्र नारायण सिंह	10-04-65	अयोध्या	अयोध्या	2020

2- पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कर्मियों के परीक्षा काल हेतु उ०प्र० पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 तथा यथा संशोधित सेवा नियमावली 2016 में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषण-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित उपनिरीक्षक (लेखा) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) को पुलिस निरीक्षक (लेखा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

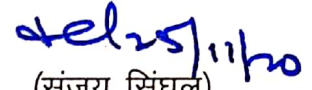
5- यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक

[Handwritten Signature]

(लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रोन्नति सूची एवं प्रारूप (क)


(संजय सिंह)

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकीसेवायें/लॉजिस्टिक्स/एस०आई०टी०/एस०टी०एफ०/तकनीकी सेवायें/प्रशिक्षण निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी०एस०ओ० उ०प्र० लखनऊ।
- 5- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, लखनऊ।
- 6- पुलिस महानिरीक्षक, एस०टी०एफ०/एस०आई०टी० उ०प्र० लखनऊ।
- 7- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर/औरैया/सोनभद्र/उन्नाव/आयोध्या।
- 8- सेनानायक 24 वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद/ 37 वीं वाहिनी पीएसी कानपुर/41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद/27 वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर।
- 9- पुलिस अधीक्षक पी०एम०टी० सीतापुर।

प्रारूप-“क”
स्वघोषणा-पत्र

मैं, _____ (नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र
_____ निवासी _____ थाना _____ जनपद _____ वर्तमान में (जनपद/इकाई
का नाम) _____ नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

(क) “मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हैं।”

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण -----
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:----- को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०----- द्वारा-----थाना-----
जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तार पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश-1

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 22602
संख्या:अद्वारह-233-2020(एसआई-लेखा)-2020 दिनांक:नवम्बर 25, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 एवं यथा संशोधित सेवा नियमावली-2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी-चार-10(12)-2020 दिनांक 20.11.2020 द्वारा निम्नलिखित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) को शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-5 में दिये गये प्राविधानों के आलोक में 01 मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक उसके सापेक्ष रिक्ति रखे गये कुल-01 पद के सापेक्ष काम चलाउ प्राबन्ध के रूप में तैनाती के सीमित उद्देश्य से पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर चयन समिति द्वारा स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु चयनित किये जाने एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक (लेखा) के पद पर अस्थाई रूप से स्थानापन्न पदोन्नति अग्रिम आदेश तक के लिये प्रदान की जाती है, यह काम चलाउ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहर बन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिये ही होगा। इन कार्मियों के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्र0सं0	पीएनओ	नम सर्व श्री	गृह जनपद	नियुक्ति स्थान	चयन का वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	872500400	रामाज्ञा	गोरखपुर	30वीं वाहिनी पीएसी गोण्डा	स्थानापन्न -2020

2- उक्त पदोन्नति काम चलाउ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, तो भी पहले हो, तक के लिये ही होगी।

3- मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण की दशा में उपरोक्त स्थानापन्न पदोन्नति पाये कर्मी को पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

4- स्थानापन्न अस्थाई पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि शासनादेश 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र निर्गत किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

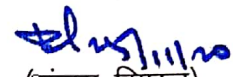
उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) को पुलिस निरीक्षक (लेखा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक (लेखा) के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मियों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रोन्नति सूची एवं प्रारूप (क)


(संजय सिंघल)

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2- सेनानायक 30 वीं वाहिनी पीएसी गोण्डा।

प्रारूप-“क”
स्वघोषणा-पत्र

मैं, _____ (नाम/पदनाम _____ व _____ पीएनओ) पुत्र
_____ निवासी _____ थाना _____ जनपद _____ वर्तमान में (जनपद/इकाई
का नाम) _____ नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

(क) “मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हैं।”

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण _____
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई _____ में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक: _____ को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०स० _____ धारा _____ थाना _____ जनपद _____ में लम्बित है, जिसमें दिनांक: _____ को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी _____ द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में _____ स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।